

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1/2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 26.09.2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला अजमेर हेतु **जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति** का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- 1- श्री क्षमाशील गुप्त पुत्र श्री भगवती लाल गुप्त अध्यक्ष
निवासी चम्पानगर ए.के.एच. ब्यावर थाना ब्यावर सिटी,
जिला अजमेर ।
- 2- श्री मदनसिंह परिहार, सेवानिवृत्त उप सीएमई, सदस्य
2/572, न्यू गोविंद नगर, रामगंज, अजमेर जिला अजमेर ।
- 3- श्रीमती नेपा रावत पत्नि श्री टीकम चंद सदस्य
निवासी मोहमी, थाना गेगल, जिला अजमेर ।
- 4- श्री संजय शर्मा पुत्र श्री प्रेमनारायण शर्मा, सदस्य
790/31, चेतन्य मार्ग, नगर पुलिस थाना अलवर गेट,
अजमेर
- 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), सदस्य सचिव
जिला अजमेर ।

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्ष का होगा ।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)गृह-1/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा निर्धारित मानदेय एवं सुविधायें देय होगी ।

आज्ञा से,

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह ।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ।
- 7- पुलिस अधीक्षक, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण को अपने स्तर से सूचित करावें ।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर ।
- 9- रक्षित पत्रावली ।

26/9/2016
वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस